न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 76/21 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2021/82)

ओमप्रकाश पुत्र तुलाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कठौल तहसील पहाडी जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर।
2. सहायक अभियन्ता महकमा इंजीनियरिंग सिंचाई विभाग कामां तहसील कामां जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी पहाडी मु0नं0 21/11 रामस्वरूप बनाम सरकार दिनांक 04.9.2018 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री प्रतापसिंह वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 23.10.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी पहाड़ी के निर्णय दिनांक 5.8.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128/111 व 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1197/0.25, 1198/0.34, 1199/0.01, 1265/0.06, 1266/0.08, 1267/0.20 किता – 6 रकबा 0.94 हैक्टेयर वाकै ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित है। उक्त नम्बरों का प्रार्थी खातेदार काबिज काश्त है। उक्त नम्बरों का साविक खसरा नम्बर 1039 मिन था। आराजी खसरा नम्बर 1196/0.09 चाही प्रथम, 1270/0.30 बंजड, 1271/0.22 बंजड वाकै ग्राम कठौल में स्थित है। सैटलमेन्ट विभाग ने नये नक्शा बनाते समय भारी भूल की है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 1198/0.34 को नये नक्शे में प्रार्थी की कब्जे काश्त के विरूद्ध दर्शाया है। खसरा नम्बर 1198 की उत्तरी दिशा की मेड को गलत दर्शाया है। जिसे दुरूस्त किया जावे। सैटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 1196/0.09, 1270/0.30, 1271/0.22 को भी गलत जगह पर दर्शाया जाकर भारी भूल की है। सैटलमेन्ट विभाग ने उक्त नम्बरान को नक्शे में प्रार्थी की खातेदारी व रोड के बीच में गलत दर्शाया है। जबकि मौके पर प्रार्थी की आराजी व रोड के बीच अन्य कोई आराजी नहीं है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्शाई गई आराजी खसरा नम्बर 1198, 1270, 1271, को प्रार्थी के खातेदारी की आराजी व रोड के बीच दर्शाकर भारी भूल की है।

23.10.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिसकी दुरूस्ती नक्शा में किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से दुरूस्ती बाबत कहा तो अप्रार्थी/तहसीलदार ने इन्कार कर दिया। लिहाजा प्रार्थी/अपीलान्ट ने तहत अदालत उपखण्डाधिकारी पहाडी के समक्ष इस्तदुआ की गई कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 111 व 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर चाही गई सैटलमेन्ट के नक्शें में दुरूस्ती की जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.8.2021 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2021 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य नक्शा गत व हाल आदि का कतई अवलोकन नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 में रकबा कमीबेशी की मांग नहीं कर तहसीलदार पहाडी की मौका रिपोर्ट के अनुसार हाल नक्शे में दुरूस्ती किए जाने का अनुतोष चाहा था। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 में यह गलत निष्कर्ष दिया है कि यदि प्रार्थी/अपीलान्ट की दरख्वास्त अंतर्गत धारा 128, 111 व 136 एल आर एक्ट स्वीकार की गई तो गांव का कुल देह रकबा बढ जायेगा। जबकि प्रार्थी/अपीलान्ट ने तहसीलदार पहाडी की मौके की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड के नक्शा को दुरूस्त कराने के लिये प्रार्थना की थी। मौके पर अपीलान्ट जमाबन्दी के अनुसार रकबे पर काबिज है, परन्तु नक्शे में गलत रकबा बताया हुआ है, परन्तु इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो कि निरस्तनीय है। सुयोग्य तहत अदालत ने निर्णय जेर अपील में यह निष्कर्ष गलत निकाला है कि गांव के अन्य लोगों को प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है इसलिऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। जबकि कानूनन गांव के सम्पूर्ण व्यक्तियों को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। कागजात पटवार में दर्ज किसी भी व्यक्ति से प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। ऐसी स्थिति में व्यर्थ ही गांव वालों को पक्षकार बनाना अधिकाधिक मुकदमावाजी व गांव वालों को परेशान करने की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में नक्शे में दुरूस्ती किए जाने से गांव के कुल रकवे में परिवर्तन होने का गलत आधार लिया गया है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में नक्शा को टेडा मेडा बनाने की बजाये मौके के अनुसार सीधी मैड बनवाकर नक्शा में संशोधन चाहा, जो कि प्रार्थी/अपीलान्ट का कानूनन अधिकार है। अपीलान्ट की ओर से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार नक्शे में दुरूस्ती किए जाने का आदेश दिए जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय सम्पूर्ण विधिक प्रकिया की पालना करते हुए रिकार्ड व तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा जिन खसरा नम्बरान के संबंध में अनुतोष चाहा गया है के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलान्ट की भूमि में कोई कमीबेशी नहीं हुई है। खसरा नंबर 1196/0.09 महकमा इंजीनियरिंग सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है तथा 1270/0.30 एवं 1271/0.27 चारागाह भूमि है, जिन्हें समाप्त करने का अनुतोष चाहा है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में यह मानते हुए कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं हो पाया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें कोई अनियमितता अथवा अवैद्यानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपीलान्ट की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 128, 111 व 136 के तहत अदालत मातहत में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि आराजी खसरा नंबर 1197/0.25, 1198/0.38, 1199/0.01, 1265/0.06, 1266/0.08, 1267/0.20 किता 6 रकबा 0.94 का अपीलान्ट/प्रार्थी खातेदार है। उक्त खसरा नम्बरान का साविक खसरा नम्बर 1039 मिन था। खसरा नम्बर 1196/0.09, 1270/0.30, 1271/0.22 महकमा इंजीनियरिंग सिंचाई विभाग व चारागाह में दर्ज है। भू प्रबंध विभाग द्वारा नया नक्शा बनाते समय अपीलान्ट/प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नंबर 1198/0.34 को नये नक्शे में प्रार्थी के कब्जेकाश्त के विरूद्ध 1198 की उत्तरी दिशा की मेड को गलत दर्शाया गया है। इसी प्रकार खसरा नंबर 1196/0.09, 1270/0.30 व 1271/0.22 को भी गलत जगह दर्शाया गया है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बरान को अपीलान्ट/प्रार्थी की खातेदारी व रोड के बीच में दर्शाया गया है। जबकि प्रार्थी की खातेदारी व रोड के बीच में कोई आराजी नहीं है। इस आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को नक्शे में दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा था। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाड़ी की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत जवाब दावे में यह उल्लेख किया कि खसरा नम्बर 1198 की उत्तरी दिशा की मेड को एल आकृतिनुमा दर्शाया गया है। जबकि मौके पर उत्तरी दिशा में मेड सीधी है। उक्त पत्रावली में ही दिनांक 17.07.2021 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। जिसमें खसरा नम्बर 1270, 1271 का पुराने नक्शे से तुलनात्मक मिलान किये जाने पर मेल नहीं खाने तथा इनके साविक खसरा नम्बर 1071, 1072 चारागाह में नुकीली नोक की आकृति नहीं होने तथा इनकी उत्तरी सीमा प्रार्थी के खेत नम्बर 1267 की दक्षिणी दिशा की ढोल के समानान्तर तथा भीड़ी हुई होने का उल्लेख किया गया है। उपखण्ड अधिकारी पहाडी द्वारा

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 में प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का व तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह माना है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आरजी खसरा नम्बर 1196, 1270 व 1271 पर कब्जे के आधार पर अनुतोष चाहा गया है। खसरा नम्बर 1196 साविक खसरा नम्बर 1039 व खसरा नम्बर 1270 व 1271 साविक खसरा नम्बर 1071 व 1072 से निर्मित किये गये हैं। साविक खसरा नम्बर 1039 से अन्य खसरा नम्बर भी बनाए गए हैं। जिनके खातेदारों को प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी की बन्दोबस्त कार्यवाही से पूर्व ही 0.94 है0 भूमि थी व खसरा नम्बर 1196, 1270 व 1271 को छोड़कर भी 0.94 है0 भूमि ही रिकार्ड व नक्शे में दर्शायी गई है। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि में कोई कमीवेशी नहीं हुई है। खसरा नम्बर 1196 महकमा इंजीनियरिंग सिंचाई विभाग व 1270 व 1271 चारागाह भूमि दर्ज है। प्रार्थी ने इन खसरा नम्बरान को समाप्त करने का अनुतोष चाहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो चारागाह भूमि व गांव की कुल देह में परिवर्तन आएगा। प्रार्थी के रकबे में कोई कमीवेशी नहीं होन व रकबा बरारी के आधार पर नक्शे में कोई कमी नहीं होना मानकर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि भू प्रबन्ध विभाग की ओर से प्रार्थी अपीलान्ट की खातेदारी के रकबे में किसी प्रकार की कोई कमीवेशी नहीं की गई है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट के दौरान नक्शे को बदले जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में पेश किया गया है। जहां तक तहसीलदार पहाड़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे का प्रश्न है तो इसके बिन्दु संख्या 4 में तहसीलदार ने यह उल्लेख किया है कि मद संख्या 4 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें, जो कि उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी के निर्णय दिनांक 05.08.2021 के अनुसार अपीलान्ट सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर